

अधिकारी ग्रेड "ए" (राजभाषा) की भर्ती

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक विनियामक निकाय है, जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करने के लिए, प्रतिभूति बाजार के विकास का उन्नयन करने एवं उसे विनियमित करने के लिए की गयी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिकारी ग्रेड "ए" (राजभाषा) के पद हेतु भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। **पद को भरने या न भरने का अधिकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास आरक्षित है।**

I. पदों की संख्या : 03 (तीन)

- i. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। हालाँकि, वे भी आवेदन कर सकते हैं किंतु वे किसी रियायत / छूट के पात्र नहीं होंगे (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु आवेदन शुल्क को छोड़कर)।
- ii. निःशक्त व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। हालाँकि, जो अभ्यर्थी अस्थिर रूप से निःशक्त हैं / दृष्टि रूप से निःशक्त हैं / बधिर हैं, और जिनकी निःशक्ता 40% या उससे अधिक है, वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने के पात्र हैं, किंतु वे आवेदन शुल्क को छोड़कर किसी भी रियायत / छूट के पात्र नहीं होंगे।

II. अधिकारियों की मुख्यतः निम्नलिखित भूमिका होगी:

- i. भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन।
- ii. बोर्ड के विभिन्न संदर्भों, दस्तावेजों, नियम-पुस्तिकाओं आदि तथा अन्य प्रकाशनों का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद और उसका पुनरीक्षण।
- iii. दस्तावेजी कार्य।
- iv. बोर्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न अन्य कर्तव्य और कृत्य।

III. पात्रता मानदंड:

क. 31/01/2013 को शैक्षिक अर्हता :

55% अंकों के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में या 55% अंकों के साथ संस्कृत / अंग्रेजी / अर्थशास्त्र / वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में।

ख. अन्य कौशल -

- i. अच्छे संप्रेषण एवं प्रस्तुतीकरण का कौशल होना चाहिए।
- ii. अच्छा प्रारूपण कौशल।

iii. कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और एमएस ऑफिस, वर्ड तथा एक्सेल एप्लीकेशनों से सुपरिचित होना चाहिए। इसके अलावा, हिन्दी सॉफ्टवेयर पैकेजों के इस्तेमाल का अनुभव और अर्थशास्त्र, वित्त तथा प्रतिभूति बाजार से संबंधित हिन्दी शब्दावली का ज्ञान वांछनीय है।

ग. **कार्य अनुभव:** संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह अपने पूर्व नियोक्ता से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।

घ. **आयु सीमा (31/01/2013 को):** 31/01/2013 को 27 वर्षों से अधिक की आयु न हो, अर्थात्, आवेदक का जन्म 01/02/1986 को या उसके बाद का हो।

IV. चयन का माध्यम:

क. **लिखित परीक्षा:** लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी। अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक (जो बोर्ड द्वारा तय किये जायें) प्राप्त करने होंगे। ऊपर निर्धारित कार्य संबंधी अपक्षाओं से संबंधित और हिन्दी भाषा में कंप्यूटर दक्षता से संबंधित परीक्षा ली जायेगी।

ख. **साक्षात्कार:** लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संक्षिप्त-सूची बनायी जायेगी।

चयन प्रक्रिया में बदलाव, यदि उचित समझा जाये, करने का अधिकार बोर्ड के पास आरक्षित है।

V. सेवा शर्तें / वेतन तथा भत्ते:

क. **पारिश्रमिक:** अधिकारी ग्रेड "ए" के वेतनमान पर पदस्थ अधिकारियों का वेतनमान 17100-1000(11)-28100-द.रो.-1000(4)-32100-1100(1)-33200 होगा। वर्तमान में, मुंबई में इस वेतनमान पर कुल परिलब्धियाँ आवास सुविधा के बिना लगभग ₹64,000/- प्रति माह हैं और आवास सुविधा के साथ लगभग ₹44,000/- प्रति माह हैं।

ख. **फायदे:** अन्य फायदे, अर्थात् छुट्टी किराया रियायत (एलएफसी), चिकित्सा व्यय (घोषणा आधार पर और अन्यथा), वित्तीय दैनिक समाचारपत्र, पुस्तक अनुदान, ब्रीफकेस, वाहन रख-रखाव, गृह स्वच्छता संबंधी भत्ता, स्वास्थ्य-जाँच, नेत्र जाँच, रियायती भोजन सुविधा, और अन्य समस्त फायदे जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में अधिकारी ग्रेड "ए" के लिए स्वीकार्य हैं।

ग. **आवास:** रिहायशी आवास सुविधा उपलब्ध कराये जाने के पूरे प्रयास किये जायेंगे, (उपलब्धता के अध्येक्षित)।

घ. **तैनाती:** पदस्थ अधिकारी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में तैनात किया जायेगा। हालाँकि, भारत में उनका कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है, जहाँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यालय हों।

VI. लिखित परीक्षा के केन्द्र:

लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी, अर्थात्, **मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई** और लिखित परीक्षा हेतु बुलाने के लिए भेजे जाने वाले पत्र में परीक्षा केन्द्र के पते सूचित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे आवेदन फार्म में अपनी पसंद के लिखित परीक्षा केन्द्र दर्शायें। हालाँकि, उपरोक्त परीक्षा केन्द्रों में से कोई भी परीक्षा केन्द्र आबंटित करने का अधिकार बोर्ड के पास आरक्षित है।

VII. आवेदन शुल्क (लौटाया न जाने वाला):

₹500/- (मात्र पाँच सौ रुपये)। (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / नि:शक्त व्यक्तियों के लिए ₹50/-)

शुल्क का भुगतान "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" के पक्ष में लिखे गये मांग ड्राफ्ट (जो केवल "मुंबई" में देय हो) से किया जाये। तथापि, जिन स्थानों पर बैंक नहीं हैं उन स्थानों के अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" के पक्ष में लिखे गये तथा रेखित भारतीय पोस्टल आर्डर (जो प्रधान डाकघर (जीपीओ), मुंबई में देय हों) के माध्यम से कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना नाम और पता मांग ड्राफ्ट के पिछली तरफ या पोस्टल आर्डर में इस प्रयोजनार्थ दिये गये स्थान पर लिखें और उन्हें आवेदन के साथ पिन की सहायता से संलग्न करें (स्टेपल न करें)। उचित आवेदन के साथ न भेजे गये (अलग से भेजे गये) शुल्क अथवा किसी अन्य तरीके से किये गये भुगतान को स्वीकार नहीं किया जायेगा। एक बार शुल्क का भुगतान कर दिये जाने पर उसे किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं किया जायेगा।

VIII. सामान्य अनुदेश:

1. अधूरे, या निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. चयन का माध्यम लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होगा। केवल संक्षिप्त-सूची में शामिल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। उन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं लौटाया जायेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए संक्षिप्त-सूची में शामिल न किया गया हो।
3. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं, वे उस पद के लिए पात्र हैं।
4. योग्य अभ्यर्थियों के मामले में किसी अपेक्षा (किन्हीं अपेक्षाओं) से छूट देने का अधिकार बोर्ड के पास आरक्षित है।
5. अधिकारी ग्रेड "ए" (राजभाषा) के पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जो पहले से ही सरकारी / अर्ध-सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / उपक्रमों में सेवारत हैं, उन्हें साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में नियुक्ति से पूर्व, उन्हें नियोक्ता की ओर से एक उचित सेवा-मुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना

होगा। यदि आवेदन नियोक्ता के माध्यम से भेजा जाना अपेक्षित है और इस प्रक्रिया में वह क्रम सं. ix में दिये गये पते पर नियत तारीख के बाद प्राप्त होता है, तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा फिर भले ही यह नियोक्ता को नियत तारीख से पहले प्रस्तुत कर दिया गया हो। ऐसे मामलों में, 'अग्रिम प्रति' लिख कर आवेदन को क्रम सं. ix में दिये गये पते पर भेज दिया जाये और नियमित प्रति नियोक्ता के माध्यम से भेजी जाये।

6. किसी भी आधार पर इस विज्ञापन को पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार बोर्ड के पास आरक्षित है।
7. किसी भी प्रकार की संयाचना अभ्यर्थी को अयोग्य ठहरा देगी।
8. यदि अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं या उन्होंने जानबूझकर गलत या मिथ्या विवरण दिये हैं या तात्त्विक जानकारी छिपायी है, तो उनकी अभ्यर्थिता चयन की किसी भी अवस्था पर रद्द किये जाने की दायी होगी। यदि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में योग्य पाया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि वह पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता / करती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी और यदि नियुक्ति हो जाती है, तो उसकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस या प्रतिकर के समाप्त कर दी जायेगी।
9. नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन प्राप्त में किसी विलंब अथवा डाक से आने के दौरान उसके खो जाने की दशा में बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, और इस संबंध में किसी पत्रादि पर विचार नहीं किया जायेगा।

IX. आवेदन कैसे करें:

1. अभ्यर्थी, जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हों, नीचे दिये गये फॉर्मेट में ही अपना बायोडाटा भर कर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी संलग्न प्रवेश-पत्र भी भरें और आवेदन फॉर्म के साथ दोनों हिस्से (अभ्यर्थी की प्रति और कार्यालय की प्रति) भी भेजें।
2. आवेदन मांग ड्राफ्ट सहित (आवेदन के लिफाफे पर "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड - अधिकारी ग्रेड "ए" (राजभाषा) के पद हेतु आवेदन" लिखकर) साधारण डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर **27 फरवरी, 2013 तक** भेज दें :
महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास प्रभाग),
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड,
प्लॉट सं. सी4-ए, "जी" ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051
3. अभ्यर्थी या उसके पिता / पति का नाम आवेदन में बिल्कुल उसी प्रकार से लिखा जाना चाहिए जैसा यह प्रमाणपत्र / अंक-सूची में उल्लिखित हो। किसी प्रकार के बदलाव / परिवर्तन के पाये जाने पर अभ्यर्थिता को अयोग्य ठहराया जा सकता है।
4. इस तारीख के बाद प्राप्त आवेदन नामंजूर किये जाने का दायी है।